[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 08/2018- केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2018

सा0का0िन0 (अ).--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पिठत वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है

(फा.सं. 334/4/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा) अवर सचिव, भारत सरकार